

# शास.इं.वि.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा (छ.ग.)

!! महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून !!

01. ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जो अरुचिकर यौन भावना से प्रेरित हो,
  02. शारीरिक संपर्क एवं निकट आने का प्रयत्न,
  03. यौन अनुग्रह की माँग,
  04. यौन अर्थ से रंजित फब्तियाँ,
  05. अश्लील चित्र दिखाना,
  06. कोई अन्य अरुचिकर यौन भाव वाला शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक संपर्क,
  07. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाय,
  08. ऐसा यौन उत्पीड़न जो विद्वेष या माहौल दूषित होने की संभावना दिखाकर किया जाय,
  09. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों की चेतावनी / धमकी देकर किया जाय,
  10. छेड़खानी करना,
  11. किसी स्त्री की स्वतंत्रता को भंग करने का प्रयत्न करना,
  12. भद्दा मजाक करना,
  13. फोन पर अश्लील बातचीत करना,
  14. इच्छा के विरुद्ध निरुद्ध करना, उसकी निजता का उल्लंघन करना,
  15. किसी भी प्रकार की ज्यादाती करना,
- आदि संबंधी अपराध होने पर विभाग प्रमुख निकटस्थ पुलिस थाना तथा राज्य महिला आयोग को सूचित करें।

**राज्य महिला आयोग, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा महिलाओं के हित में प्रसारित**

शिकायत हेतु महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण एवं नारी उत्पीड़न समिति गठित की गई है। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर छात्राएं निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं :-

**प्राचार्य-9425547200, उप प्राचार्य-9425539555, संयोजक-9407739631**

**वोटर लिस्ट में नाम लिखाएं । वोटर कार्ड सभी बनवाएं ।  
लोकतंत्र का भाग्य विधाता । होता जागरुक मतदाता ॥**

  
PRINCIPAL,  
GOVT. ENGINEER VISHWESARRAIYA  
P. G. COLLEGE, KORBA (C. G.)

